भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-276

दिनांक 02 दिसंबर, 2025 के लिए प्रश्न

राजस्थान में चारा परियोजनाएँ

276. श्री राहुल कस्वांः

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) के तहत राजस्थान के लिए केवल एक चारा-संबंधित परियोजना को मंजूरी दी गई थी और इसके लिए कोई धनराशि वितरित नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य की लंबे समय से चली आ रही कमी के बावजूद उक्त परियोजना के लिए इतनी कम निधि के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विशेष पैकेज या प्रदर्शन के लिए परियोजनाओं के माध्यम से चूरू, बीकानेर और जैसलमेर जैसे शुष्क जिलों में चारा और चारा विकास को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) और (ख) जी हाँ, राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम **(NLM-EDP)** के अंतर्गत राजस्थान के लिए विभाग द्वारा केवल एक चारा-संबंधी परियोजना को अनुमोदन दिया गया है और **23.205** लाख रुपये की सब्सिडी की एक किस्त संवितरित की जा चुकी है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चारा विकास श्रेणी के अंतर्गत **49** आवेदन प्राप्त हुए हैं। हालाँकि, राजस्थान सरकार ने नई परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु दिनांक **3** जून, **2025**,अर्थात्,परियोजना अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक होने तकएक आवेदन अग्रेषित किया है। उद्यमिता कार्यक्रम मांग आधारित कार्यक्रम है। यहमांग, आवेदक की वित्तीय और तकनीकी क्षमता पर निर्भर करती है।

(ग) राज्य सरकार अपनी पशुधन आबादी की आहार और चारे संबंधी माँग को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है। केंद्र सरकार देश में चारा विकास के लिए विभिन्न पहलें कर रही है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए, केंद्र सरकार, आहार और चारा विकास संबंधी एक उप-मिशन के साथ, केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन मिशन लागू कर रही है। यह

योजना वर्ष 2014-15 से पूरे देश में लागू है। आहार और चारा विकास संबंधी उप-मिशन के निम्नलिखित घटक हैं:

(i) गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन हेतु सहायता

(ii) आहार और चारे से संबंधित उद्यमशीलता कार्यकलाप

(iii) चारा बीज प्रसंस्करण अवसंरचना (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई/चारा बीज भंडारण गोदाम) के लिए उद्यमी तैयार करना

(iv) गैर-वनीय बंजर भूमि/रेंज भूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन" और "वन भूमि से चारा उत्पादन"

इसके अलावा, पशुपालन और डेयरी विभाग ने राजस्थान सहित सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि चारा टास्क फोर्स का गठन करें ताकि चारा उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि की जा सके और राज्यों एवं केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं का समन्वय किया जा सके। इन प्रयासों से राजस्थान सहित सभी संबंधित राज्यों में चारे की उपलब्धता बढ़ेगी।

*****